बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

।। अधिसूचना।।

शुद्धि–पत्र

संख्याः–5न0वि0 / निर्वा0–09 / 2017 3648 / न0वि0एवंआ0वि0 / पटना, दिनांक– 31/5/17

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–35 तथा बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम–87 के प्रावधानों के अंतर्गत नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 में नगरपालिका (नगर निगम / नगर परिषद / नगर पंचायत) के निर्वाचित वार्ड पार्षदों के नाम यथा संलग्न अनुसूची में विभागीय अधिसूचना संख्या–3623 दिनांक–30.05.2017 द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित की गई थी। परन्तु टंकण भूल के कारण उक्त अधिसूचना के संलग्न अनुसूची–XXIX में त्रुटियाँ पाई गई जिसे निम्नवत् संशोधित किया जाता हैः–

(i) उक्त अनुसूची में उल्लिखित नगरपालिका निर्वाचन, 2017 नगर परिषद, किशनगंज के वार्ड पार्षदों की सूची के अंतर्गत क्रमांक–5 में आरक्षण स्थिति के कॉलम में पिछड़ा वर्ग / महिला, क्रमांक–10 में आरक्षण स्थिति के कॉलम में अनारक्षित / महिला एवं क्रमांक–23 के आरक्षण स्थिति के कॉलन में अनुसूचित जाति / अन्य के स्थान पर अनुसूचित जनजाति / अन्य पढ़ा जाय।

(ii) उक्त अनुसूची में उल्लिखित नगरपालिका निर्वाचन, 2017 नगर पंचायत, बहादुरगंज के वार्ड पार्षदों की सूची के अंतर्गत क्रमांक–3 में आरक्षण स्थिति के कॉलम में पूर्व में अंकित अनारक्षित / अन्य के स्थान पर अनारक्षित / महिला एवं क्रमांक–13 में आरक्षण स्थिति के कॉलम में पिछड़ा वर्ग / महिला पढ़ा जाय।

(iii) उक्त अनुसूची में उल्लिखित नगरपालिका निर्वाचन, 2017 नगर पंचायत, ठाकुरगंज के वार्ड पार्षदों की सूची के अंतर्गत क्रमांक–4 में आरक्षण स्थिति के कॉलम में पूर्व में अंकित अनुसूचित जाति / अन्य के स्थान पर अनुसूचित जनजाति / अन्य एवं क्रमांक–12 में आरक्षण स्थिति के कॉलम में पूर्व अंकित अनारक्षित / महिला के स्थान पर अनारक्षित / अन्य पढ़ा जाय।

2. पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या–3623 दिनांक–30.05.2017 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

3. शेष यथावत् रहेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

31/5/2017

(चैतन्य प्रसाद)

प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–5न0वि0 / निर्वा0–09 / 2017 3648 / न0वि0एवंआ0वि0 / पटना, दिनांकः– 31/5/17

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, गजट शाखा, बिहार, पटना को सी0डी0 के साथ बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे इसका गजट प्रकाशन 1 जून के पूर्व करने तथा इसकी 500 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

31/5/2017

प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–5न0वि0 / निर्वा0–09 / 2017 3648 / न0वि0एवंआ0वि0 / पटना, दिनांकः– 31/5/17

प्रतिलिपिः–सभी जिला पदाधिकारी–सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगर निकाय) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग / सभी मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी, सभी नगर निकाय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/5/2017

प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।